कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

क्रमांक– 1807 /198/आउशि/बजट/18 भोपाल, दिनांक 11/9/2018

प्रति,

(1) प्राचार्य,
नवीन प्रारंभ किये गये शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

(2) प्राचार्य,
संबंधित शास. अग्रणी महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय–"योजना कमांक 7134– नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु अनुदान योजना" अन्तर्गत नवीन महाविद्यालयों को बजट आवंटन वित्तीय वर्ष 2018–19 (संबद्वता शुल्क के भुगतान के संबंध में)

उपरोक्त विषय में उल्लेखनीय है कि नवीन प्रारंभ किये गये शासकीय महाविद्यालयों को महाविद्यालय संचालन के लिए आवश्यक सामग्री/व्ययों हेतु कमांक 1341/198/आउशि/बजट/18, दिनांक 27.06.2018 द्वारा "योजना कमांक 7134–नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु अनुदान" योजना अन्तर्गत राशि आवंटित की गई है, जिसमें 22–008 अन्य आकस्मिक व्यय, 34–009 सामग्री पूर्ति–अन्य एवं 42–007 सहायक अनुदान–अन्य मद में भी राशि आवंटित की गई है। अतः उक्त आवंटन में आकस्मिक व्यय एवं संबद्वता शुल्क इत्यादि से संबंधित व्यय संबंधी राशि शामिल है।

अतः निम्नलिखित महाविद्यालयों को संबद्वता शुल्क के भुगतान हेतु उनकी मांग के परिप्रेक्ष्य उपरोक्तानुसार आवंटित राशि के फलस्वरूप निम्नानुसार अतिरिक्त राशि का आवंटन जारी किया जाता है :–

स. क.	नवीन शासकीय महाविद्यालय	जिला	संबंधित अग्रणी महाविद्यालय	पत्र क. एवं दिनांक	बजट शीर्ष 44 –2202–03–103–0101 –7134	आवंटित राशि रूपये
1	शा.महावि. पिपराई	अशोकनगर	शा.नेहरू महावि. अशोकनगर	अग्रणी982/ 32.8.18	7134–42–007 सहायक अनुदान	27700
2	शा.महावि. शाढौरा	अशोकनगर	शा.नेहरू महावि. अशोकनगर	अग्रणी982/ 32.8.18	7134–42–007 सहायक अनुदान	17700
3	शा.महावि. सैहराई	अशोकनगर	शा.नेहरू महावि. अशोकनगर	अग्रणी982/ 32.8.18	7134–42–007 सहायक अनुदान	17700
4	शा.महावि. डोलरिया	होशंगाबाद	शा.गृ.वि.पी.जी. महावि.होशंगाबाद	अग्रणी175/ 31.8.18	7134–42–007 सहायक अनुदान	0
5	शा.कन्या महाविसिवनी –मालवा	होशंगाबाद	शा.गृ.वि.पी.जी. महावि.होशंगाबाद	अग्रणी175/ 31.8.18	7134–22–008 अन्य आकस्मिक व्यय	50000
6	शा.महावि. बड़ौद	आगर–माल वा	शा.नेहरू महावि. आगर–मालवा	अग्रणी–497 /30.08.18	7134–22–008 अन्य आकस्मिक व्यय	40212

7	शा.महावि. सोयतकला	आगर–मालवा	शा.नेहरू महावि. आगर–मालवा	अग्रणी–497 /30.08.18	7134–22–008 अन्य आकस्मिक व्यय	82574
8	शा.महावि. बांदरी	सागर	शा.कला–वाणिज्य महावि.सागर	अग्रणी2445 /3.8.18	7134–22–008 अन्य आकस्मिक व्यय	40000
9	शा.महावि. खिमलाशा	सागर	शा.कला–वाणिज्य महावि.सागर	अग्रणी2445 /3.8.18	7134–22–008 अन्य आकस्मिक व्यय	70000
10	शा.महावि. नरयावली	सागर	शा.कला–वाणिज्य महावि.सागर	अग्रणी2445 /3.8.18	7134–42–007 सहायक अनुदान	0
11	शा.महावि. लामता	बालाघाट	शा.पी.जी.महावि. बालाघाट	अग्रणी1990 /28.7.18	7134–34–009 सामग्री–पूर्ति–अन्य	150000
	कुल योग					495886

(2) उक्त राशि का आहरण/उपयोग वित्तीय वर्ष 2018–19 अन्तर्गत निम्नलिखित बजट शीर्ष में विकलनीय होगा :–

44–2202–03–103–0101–7134–22–008– अन्य आकस्मिक व्यय
44–2202–03–103–0101–7134–34–009– सामग्री पूर्ति–अन्य
44–2202–03–103–0101–7134–42–007– सहायक अनुदान

(3) सामग्री क्रय एवं राशि के व्यय/भुगतान करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार क्रय तथां सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(4) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत, अद्यतन म0प्र0 भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावें।

(5) क्रय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

(6) नवीन शासकीय महाविद्यालयों को अभी डी.डी.ओ. कोड आवंटित नहीं है। अतः समक्ष में अकित संबंधित शासकीय महावि./अग्रणी महाविद्यालयों के डी.डी.ओ. कोड अंतर्गत राशि कोषालय सर्वर पर अपलोड है। अतः संबंधित अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क कर नियमानुसार राशि का आहरण एवं भुगतान सुनिश्चित करें। उपयोग की गई राशि का नियमानुसार अभिलेख संधारित किया जावे।

(7) अगवत हो कि वित्त विभाग द्वारा व्यय हेतु मासिक एवं त्रैमासिक सीमा निर्धारित की गई है। अतः आवंटित राशि का नियमानुसार यथाशीघ्र तत्काल आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ताकि राशि लैप्स होने की स्थिति निर्मित न हो सके।

(8) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।

(9) किसी भी स्थिति में आबंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।

(10) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।

"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क्र0– 1808 / 198 / आउशि / बजट / 18 भोपाल, दिनांक– 11/9/2018

प्रतिलिपि–

1. विशेष सहायक मा.मंत्रीजी / राज्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय भोपाल
2. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. उप सचिव,मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा,भोपाल
7. संबंधित कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

......की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश